'पत्रकारिता'

सेमेस्टर - III

पेपर - XI

Scanned with CamScanner

१ - समाचार पत्रिका के मूल तत्व समाचार संकलन तथा लेखन, लेखन के मुख्य आयाम।

२ - संवाद संकलन और संवाद लेखन दोनों दो तरह की कलाएं हैं। दोनों के पूरा होने पर संवाद एक पत्रकारिता का रूप लेता है। संवाद संकलन के क्रम में उसकी प्रमाणिकता की खोज करनी पड़ती है। पर जब लिखने की आवश्यकता पड़ जाती है, तब प्रमाणिकता अनिवार्य हो जाती है। संवाद रोचक हो सकता है, किंतु उसे रोचक बनाया नहीं जाता। साहित्य या अन्य कलाओं से संवाद लेखन की कला में अंतर होता है तो यही कि अन्य कलाओं में कल्पना प्रधान होती है, प्रमाणिकता नहीं। जबकि संवाद लेखन में प्रमाणिकता प्रधान होती है और कल्पना गौण और कहीं-कहीं दोष बन जाती है कल्पना। कल्पना कला में रोचकता लाती है और प्रमाणिकता उसे सपाट तथा नीरस बनाती है। किंतु संवाद अपने में ही इस रूप में रहता है कि उसे रोचक बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कोई व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण बात कह देता है तो वह बात अपने में ही महत्व की हो सकती है। वह तब दर्शन और चिंतन का विषय बन सकती है। वह कोई राजनीतिक महत्व की बात भी हो सकती है। वह साहित्य का विषय भी बन सकती है। किसी दार्शनिक, राजनीतिक या साहित्यकार को ही वह बात किसी से बताने या लिखने की आवश्यकता पड़ी तो वह स्वयं उसका उल्लेख कर सकता है तथा उस रूप में वह प्रमाणिक भी बन सकता है। पर जब किसी

पत्रकार या संपाददाता को वह बात मालूम हो जाये और वह उसे एक संवाद का रूप देकर अपने पत्र में प्रकाशित करना चाहे तब उस बात का उल्लेख करने से पूर्व अनेक विषयों पर उसे विचार करना होगा। इसे तब बताना होगा कि किस व्यक्ति ने बात कही। उसने कहाँ कब किस प्रसंग में और किनके सामने वह बात कही। यदि हम इसका उल्लेख कर दें तो इतने से ही पाठक को संतोष नहीं होगा। वह उसकी सच्चाई का प्रमाण चाहेगा और उसके लिए सभी बातें आगे उसे लिख देनी पड़ेगी। इस तरह बात का उल्लेख मात्र करने से जो रोचकता उसकी अपनी विशेषता के कारण आती वह इस विवरण के कारण समाप्त हो जाएगी। किंतु दूसरी तरफ संवाद पढ़ने वाले को पूरा संतोष हो जाएगा कि जो कुछ लिखा गया है वह सही और प्रामाणिक है।

संवाद लेखन और न्यायालय को भी दी जाने वाली जानकारी दोनों ही समान होते हैं। किसी घटना का उल्लेख कर देने से न्यायालय को संतोष नहीं हो जाता। वह उसके लिए समुचित गवाह खोजता है, घटना असत्य है न्यायालय यही बात मानकर चलता है और तब उसकी सच्चाई पर विचार भी आरंभ करता है। घटना का विवरण देने वाले की यह जिम्मेदारी हो जाती है, वह प्रमाणित करें कि जो भी विवरण वह न्यायालय के सामने

प्रस्तुत कर रहा है, वह सत्य और प्रामाणिक है। अपवाद लेखन के साथ भी यही बात रही है। अपवाद अंकिकन के साथ बात मौखिक [illegible] अपवाद का पता लगाने पर हो सकता है। यो पर ही स्मरण रूप से रहता है उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि की चिंता उस समय नहीं की जाती। उसकी प्रमाणिकता का प्रश्न तभी उठता है जब उसको लिखने की जरूरत पड़ जाती है। यदि कोई बात किसी से कह देता है और वह सत्य रहता है तो सुनने वाले को सत्य मान लेने में सामान्यतः आपत्ति नहीं होती, किंतु बात ऐसी हो जो दूसरों के लिए रहस्योद्घाटित होने के बाद अनिष्टकारी बन जाती हो तो उसकी शिकायत न्यायालय के सामने लायी जा सकती है। यदि वह लिखित रूप में नहीं हो, तो उसका रहस्योद्घाटन करने वाला व्यक्ति अपनी बात से मुकर जा सकता है और कह सकता है कि हमने ऐसी बात नहीं कही। ऐसी अवस्था में उसके विरुद्ध आरोप प्रमाणिक नहीं होने के कारण उसे किसी भाँति दंडित नहीं कराया जा सकता। पर बात जब लिखित रूप में होगा तब उसे इंकार नहीं किया जा सकता, जिस व्यक्ति ने इस बात का पता लगाया होगा और उसका रहस्योद्घाटन किया यदि वह बात उसके अक्षरों में नहीं होकर दूसरे के अक्षर में हो, तो भी उसके लिए उस व्यक्ति को ही पकड़ा जा सकता है जिसके अक्षरों में वह बात उल्लेखित है।

यही कारण है कि संवाद-संकलन में प्रमाणिकता के लिए चाहे जितनी भी असावधानी बरती गई हो। अब जब संवाद लेखन की जरूरत पड़ती है तब संवाद से पहले उसकी प्रमाणिकता आवश्यक बन जाती है। संवाद चाहे जिस समाचार पत्र अथवा पत्रिका में प्रकाशित हो यदि वह प्रमाणिक नहीं रहा तो समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक, व मुद्रक पकड़े जा सकते हैं। पत्र पर उनके नाम प्रकाशित होते हैं और वह इसलिए प्रकाशित होते हैं कि जो समाचार या निबंध आदि उस पत्र या पत्रिका में प्रकाशित होते हैं, उनके लिए वे जिम्मेदार ठहराया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें न्यायालय बुलाया भी जा सके। संपादक और प्रकाशक संवाद की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर संवाददाता का नाम और पता देने से यदि अस्वीकार कर देंगे तब दण्ड यदि देने की आवश्यकता पड़ी तो वह दण्ड उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। अतः कोई भी संपादक चाहता यही है कि जो संवाद उसके समाचार-पत्र में प्रकाशित हो वह प्रमाणिक हो और उसकी प्रमाणिकता का उल्लेख भी समाचार या संवाद के साथ ही रहे, ताकि किसी को उसकी सत्यता को चुनौती देने का साहस तक न हो।

संवाद के लिए प्रमाणिकता आवश्यक

अवश्य है किन्तु यह हमेशा अनिवार्य नहीं होता। यदि संपादक को यह विश्वास हो जाए कि समाचार सत्य और प्रमाणिक है तो प्रमाणिकता के सबूत के अभाव में भी वह समाचार को इस आशा से प्रकाशित करेगा कि उसके पत्र को उससे लोकप्रियता मिलेगी तथा सम्बद्ध व्यक्ति को साहस नहीं हो सकेगा कि न्यायलय में उसको चुनौती भी दे सके। अनेक समाचार ऐसे भी होते हैं जिनकी सत्यता की प्रमाणिकता के अभाव में भी पाठक को उनकी सच्चाई पर संदेह नहीं होता। और संबद्ध व्यक्ति अनिष्ट सहकर भी न्यायलय में जाने का साहस इस लिए नहीं करता क्योंकि तब वहाँ जो भी विवरण छिपा रह गया है या प्रकाशित नहीं हो सका है वह भी सामने आ जाएगा अर्थात उसकी और अधिक परेशानी हो जाएगी